



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-"मिनी रत्न" कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/04/2018-19

दिनांक: 10.04.2018

निविदा-सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित बाग (भगवानसर बस अड्डे के पास) में निम्नलिखित फलदार पौधों से फल तोड़ने का अधिकार वर्ष 2018-19 के लिए देने हेतु खुली बोली का आयोजन दिनांक 02.05.2018 को सायं 3:00 बजे फार्म मुख्यालय में किया जा रहा है। खुली बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को ₹ 75000/- (रुपये पਿछत्तर हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में फार्म खजांची के पास जमा करवाना होगा। इच्छुक ठेकेदार सीलबन्द टेण्डर जो निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के नाम से भेज सकते हैं। जो इस कार्यालय में नीलामी के दिन दोपहर 1:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिये। सीलबन्द टेण्डर के साथ ₹ 75000/- (रुपये पिछत्तर हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़" के नाम से देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट के अभाव में टेण्डर स्वीकार नहीं होगा। टेण्डर की कीमत ₹ 100/- नगद भुगतान कर फार्म के उद्यान विभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक निविदादाता को बोली में भाग लेने से पूर्व अपनी पहचान के साक्ष्य के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड, जमीन का खसरा-खतोनी आदि में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, यदि बोलीदाता/निविदादाता कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा/अर्न्तनियम पंजीकरण प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगणों की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

क्रम सं०	फलों के नाम व किस्म	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सन्तरा, किन्नों	13.80
2	मीठी नारंगी-मोसम्बी	3.85
3	मीठी नारंगी-माल्टा ब्लड रेड	3.20
4	मीठी नारंगी-जाफा, वी-लेट, पाईन एप्पल	2.00
5	ग्रेप फ्रूट	0.25
6	नीम्बू-कागजी व बारहमासी	3.75
7	बेर-उमरान,गोला,सेव,कैथली आदि	4.00
8	अमरुद-लखनऊ-49 व इलाहाबाद सफेदा	8.60
9	आलू बुखारा-कठारुचक	1.00
10	आम-दशहरी, लंगड़ा इत्यादि	0.70
11	आंवला-बनारसी, चकैया व अन्य	3.50
12	बेल पत्र	2.60
13	फालसा, करौंदा, खजूर, जामुन	रोड़ किनारे व बाउन्डरी साईड
	कुल	47.25

नोट:- उच्चतम सफल बोली दाता को बोली की 25 फीसदी राशि तुरन्त बोली के बाद जमा करवानी होगी।

उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को स्वीकृति के बाद उच्चतम बोली की 8 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 48 घण्टे में जमा करवानी होगी। बोली की नियम व शर्तें बोली से पूर्व उसी दिन पढ़कर सुना दी जावेगी। उपरोक्त खुली बोली की अधिक जानकारी के लिए फार्म के किसी भी कार्यदिवस में निम्न अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखा जा सकता है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

दिनांक: 10.04.2018

फार्म में बाग के फलों की नीलामी हेतु वर्ष 2018-19 के लिए नियम व शर्तें ।

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) ₹ 75000/- (रुपये पिछत्तर हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड”, सूरतगढ़ के नाम देय हो फार्म खजांची के पास जमा कराना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर बैंक द्वारा लौटा दी जावेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र-शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। सन्देहास्पद दशा में तलाशी ली जा सकती है।
3. फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 48 घण्टों में ठेके की स्वीकृत रकम का 8 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।
4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नहीं हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
5. अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता प्रतिभूति राशि 48 घण्टों में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी धरोहर राशि ₹ 75000/- (रुपये पिछत्तर हजार मात्र) फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न-भिन्न निम्नवत होगी:-

(अ) आम, फालसा, आलू-बुखारा	—	31 जुलाई, 2018
(ब) नीम्बू (बारहमासी व कागजी)	—	31 मार्च, 2019
(स) अमरूद	—	28 फरवरी, 2019
(द) माल्टा, मौसम्बी, जाफा व पाईन ऐपल	—	31 दिसम्बर, 2018
(य) किन्नों व आँवला	—	31 जनवरी, 2019
(र) बेर	—	15 अप्रैल, 2019

ज्यों ही फलों के चुनाव का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

शेष पेज 2 पर.....

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो इस प्रकार होंगे—

(अ) माल्टा, मौसम्बी व किन्नों	—	4 क्विण्टल
(ब) अमरूद	—	3 क्विण्टल
(स) बेर	—	2 क्विण्टल
(द) आँवला	—	50 किलोग्राम
(य) करौन्दा	—	20 किलोग्राम
(र) नीम्बू	—	30 किलोग्राम

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।
13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चूँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गयी किस्ते आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।
16. इस सौदे के लिए ₹ 100/- (रुपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा।

17. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास-फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध सम्भव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजौंची के पास जमा करानी होगी।
18. नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही देरी से धन राशि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा कराना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करने पर बिना सूचना दिये ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बचे फल बिना नीलामी बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म की होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोलीदाता की जिम्मेदारी पर की जायेगी। उस हालत में धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राशि व जो भी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जायेगी।
20. साधारणतया: फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवा कर गेट पास लेना आवश्यक होगा।
21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
23. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें :-**
 - (अ) ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत बोली मंजूर होने के तुरन्त बाद जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राशि तुरन्त जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो बकाया राशि (अधिकतम 5 प्रतिशत) दो कार्यदिवस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित समस्त धनराशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबन्ध किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।
 - (ब) उच्चतम बोलीदाता को बकाया 75 प्रतिशत धनराशि निश्चित समय-अन्तरालों पर निम्नवत जमा करवानी होगी।
 - (क) 5 प्रतिशत 23.05.2018 को आम, आलुबुखारा व फालसा तोड़ने से पूर्व।
 - (ख) 15 प्रतिशत 15.07.2018 को या बरसाती अमरूद तोड़ने से पूर्व।
 - (ग) 10 प्रतिशत 16.08.2018 को या कागजी व बारामासी नीम्बू तोड़ने से पूर्व।
 - (घ) 20 प्रतिशत 15.09.2018 को या माल्टा, मोसम्बी तोड़ने से पूर्व।
 - (ङ) 20 प्रतिशत 15.10.2018 को या जाड़े का अमरूद तोड़ने से पूर्व।
 - (च) 30 प्रतिशत 20.11.2018 को या किन्नों व बैर फल तोड़ने से पूर्व।
25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जायेगा। अंतिम किस्त 20 नवम्बर, 2018 या अंतिम फल के पकने से एक माह पहले, तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करानी होगी।

शेष पेज 4 पर.....

26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से पूर्व रोक दिया जावेगा। साथ ही देरी से धनराशि जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर कर दी जावेगी।
27. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी राशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होंगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जायेंगी। अगर किस्त समय पर जमा नहीं की जाती है तो दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व उस समय तक जमा की गयी सभी राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।
29. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जँगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
30. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी।
31. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेशकश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
32. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।
33. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
34. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार की किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष सह-प्रबन्धक निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक सोल आर्बिटेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराये। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
35. आर्बिटेशन एन्ड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक